बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

का0आ0सं0—भवन / भू—सम्पदा—01—आवास—(राजपत्रित)—08 / 2025— 111 पटना, दिनांक— 13/10/25

'कार्यालय आदेश'

राजपत्रित आवास आवंटन समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में पूर्वादेश को विखंडित करते हुए निम्नांकित राजपत्रित पदाधिकारी को पटना केन्द्रीय पूल से नियमानुसार आदेय किराया एवं करों के भुगतान की शर्त्त पर आवास आवंटित किया जाता है :—

क्र0	Reg No	पदाधिकारी का नाम / पदनाम	विभाग	आवंटित आवास
1.	BG8187	**श्री शैलेन्द्र शेखर,** प्रशाखा पदाधिकारी	जल संसाधन विभाग	**C5/504** गर्दनीबाग

2. सरकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम—10 के अधीन आवंटी पदाधिकारी से अनुरोध है कि पत्र प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे कि उन्हें आवंटित आवास स्वीकार है अथवा नहीं। यदि आवंटित आवास स्वीकार है तो उक्त अवधि के अन्दर आवास अधिग्रहण कर भवन निर्माण विभाग को तदनुसार सूचित करेंगे।

3. नये आवंटी पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, गर्दनीबाग भवन प्रमण्डल (मो0नं0—9264293043) से सम्पर्क स्थापित कर आवंटित आवास का प्रभार लेकर उसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को देंगे।

4. स्थानान्तरण या अन्य कारणों से पटना स्थित पात्र कार्यालय में पदस्थापन की अवधि समाप्त होने पर उनका आवंटन स्वतः रद्द समझा जाएगा और उनसे सरकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम—11(2) में विहित प्रावधानों के अनुसार मानक किराया / दण्ड किराया लिया जाएगा तथा नियमानुसार निष्कासन की कार्रवाई की जाएगी।

5. पटना से बाहर स्थानांतरण के उपरांत आवास दखल में रखने की अनुमान्य अवधि मात्र 1 (एक) माह है। उक्त अवधि के पश्चात मानक किराया का 30 गुना प्रति माह की दर से दण्ड किराया एवं मासिक मेंटेनेंश चार्ज वसूल किया जायेगा तथा निष्कासन की भी कार्रवाई की जायेगी।

6. विभागीय आदेश सं0—3473, दिनांक—30.04.2024 के आलोक में गर्दनीबाग में नवनिर्मित बहुमंजिला आवासीय परिसर के कॉमन एरीया का साफ—सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, लिफ्ट, डब्ल्यू0टी0पी0, एस0टी0पी0, जेनरेटर आदि का परिचालन में होने वाले व्यय को ध्यान में रखकर मानक किराया के साथ अतिरिक्त मासिक मेंटेनेन्स चार्ज भी लिया जायेगा जो निम्नवत है :—

क्र0	आवास का टाईप	मासिक मानक किराया	मासिक मेंटेनेन्स चार्ज	प्रति आवास कुल मासिक कटौती
1.	सी—टाईप आवास, गर्दनीबाग	₹660	₹880	₹1540

उपर्युक्त मासिक चार्ज को संबंधित आवासी के विभाग द्वारा प्रतिमाह मानक किराया के साथ ही वेतन से कटौती की जायेगी।

D: Seema/karyalay Adesh/ 392

7. सरकारी आवास संबंधी किसी भी विषय, विवाद या अनियमितता को आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियमों के अनुरूप निस्तारित किया जाएगा।

8. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–

(शिव रंजन)

संयुक्त सचिव–सह–भू–सम्पदा पदाधिकारी

ज्ञापांकः–भवन/भू–सम्पदा–01–आवास–(राजपत्रित)–08/2025– 9572(भ) पटना, दिनांकः– 13/10/25

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/श्री शैलेन्द्र शेखर, प्रशाखा पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता(पटना)/कार्यपालक अभियंता, गर्दनीबाग भवन प्रमण्डल/कार्यपालक अभियंता, कर प्रमण्डल/विद्युत कार्य प्रमण्डल सं0–1 एवं 03/कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी प्रमण्डल (पेसू)/निदेशक (तकनीकी), एन.आई.सी/आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव–सह–भू–सम्पदा पदाधिकारी।

D: Seema/karyalay Adesh/ 393